दिनाक 08.11.2020
प्रेस विज्ञप्ति–08/20

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद आजमगढ़/थाना दीदारगंज

- **पुलिस कार्यवाही में 25,000 रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 303 बोर, 01 जीवित कारतूस, 03 खोखा कारतूस**
- **01 मोबाइल फोन, 01 मोटरसाइकिल आदि बरामद**

दिनांक 07.11.2020 को थाना दीदारगंज व थाना फूलपुर की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान पुष्प नहर पुलिया के पास मोटरसाइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त मुकेश घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। मौके से एक अन्य बदमाश फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 303 बोर, 01 जीवित कारतूस, 03 खोखा कारतूस, 01 मोबाइल फोन व 01 मोटरसाइकिल आदि बरामद हुयी।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त जनपद स्तर से वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु 25,000 रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना दीदारगंज पर अभियोग पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मुकेश निवासी ग्राम भादो थाना दीदारगंज आजमगढ़।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 303 बोर, 01 जीवित कारतूस, 03 खोखा कारतूस

2–01 मोबाइल फोन, 01 मोटरसाइकिल आदि।

जनपद रामपुर/थाना मिलक

- **25,000 रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी सहित 02 अपराधी गिरफ्तार**
- **08 पेटी अवैध शराब आदि बरामद**

दिनांक 08.11.2020 को थाना मिलक पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम मेहंदीनगर के पास से पुरस्कार घोषित अपराधी सुशील व एक अन्य अपराधी विभू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 08 पेटी अवैध शराब आदि बरामद हुयी।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त सुशील थाना शहजादनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 119/20 धारा 60(1)/63/72 आबकारी अधिनियम में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25,000 रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना मिलक पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सुशील निवासी परा फरीदपुर थाना कोतवाली फरीदपुर बरेली।

2—विभू निवासी निवासी परा फरीदपुर थाना कोतवाली फरीदपुर बरेली।

बरामदगी

1— 08 पेटी अवैध शराब आदि।

जनपद सिद्धार्थनगर/थाना भवानीगंज

- **चोरी की घटना का अनावरण, 03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 04 लाख 06 हजार 50 रू0 नगद**
- **02 अवैध तमंचा 12 बोर, 02 जीवित कारतूस, 01 लैपटाप, 04 चेकबुक**
- **15 विजिटिंग कार्ड आदि बरामद**

दिनांक 07.11.2020 की रात्रि थाना भवानीगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम बायताल से 03 शातिर अभियुक्तों 1—सरोज उर्फ काजू 2—विनीत कुमार 3—विमल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के 04 लाख 06 हजार 50 रू0

नगद, 02 अवैध तमंचा 12 बोर, 02 जीवित कारतूस, 01 लैपटाप, 04 चेकबुक, 15 विजिटिंग कार्ड आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 07.11.2020 को वादी की तहरीर पर थाना भवानीगंज पर मु0अ0सं0 147/2020 धारा 457/380 भादवि बनाम उपरोक्त 03 अभियुक्तों के विरूद्व अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद माल उक्त घटना से संबंधित है।

इस संबंध में थाना भवानीगंज पर अभियोग पंजीकृत विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सरोज उर्फ काजू नि0 ग्राम मोकलपुर थाना खोडारें जनपद गोण्डा।

2–विनीत कुमार नि0 ग्राम मोकलपुर थाना खोडारें जनपद गोण्डा।

3–विमल नि0 ग्राम मोकलपुर थाना खोडारें जनपद गोण्डा।

बरामदगी

1–चोरी के 04 लाख 06 हजार 50 रू0 नगद।

2–02 अवैध तमंचा 12 बोर, 02 जीवित कारतूस।

3–01 लैपटाप, 04 चेकबुक, 15 विजिटिंग कार्ड आदि।

जनपद बुलन्दशहर/थाना सिकन्द्राबाद

- **04 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार**
- **चोरी की 15 मोटरसाइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस, 01 अवैध तमंचा 12 बोर, 02 जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 07.11.2020 की सायं थाना सिकन्द्राबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गुलावठी रोड के पास से 04 अभियुक्तों 1–साजिद 2–राशिद 3–ताहिर 4–इरशाद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 15 मोटरसाइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस, 01 अवैध तमंचा 12 बोर, 02 जीवित कारतूस आदि बरामद हुयी।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के वाहन चोर है, अभियुक्तों के विरूद्व जनपद बुलन्दशहर व दिल्ली प्रांत के विभिन्न थानों पर चोरी, गैंगेस्टर एक्ट व आर्म्स एक्ट आदि के 21 अभियोग पंजीकृत है। पूछतांछ पर गिरफ्तार अभियुक्तों ने बुलन्दशहर, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर व दिल्ली के आसपास क्षेत्रों से वाहन चोरी करना स्वीकार किया।

इस संबंध में थाना सिकन्द्राबाद पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—साजिद नि0 मो0 रामपुरा शेखवाड़ा थाना सिकन्द्राबाद बुलन्दशहर।

2—राशिद नि0 मो0 रामपुरा शेखवाड़ा थाना सिकन्द्राबाद बुलन्दशहर।

3—ताहिर नि0 मो0 रामपुरा शेखवाड़ा थाना सिकन्द्राबाद बुलन्दशहर।

4—इरशाद नि0 मो0 रामपुरा शेखवाड़ा थाना सिकन्द्राबाद बुलन्दशहर।

बरामदगी

1—चोरी की 15 मोटरसाइकिल।

2— 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस, 01 अवैध तमंचा 12 बोर, 02 जीवित कारतूस आदि।

जनपद अमरोहा/थाना गजरौला

- **दो अभियुक्त गिरफ्तार**
- **05 लाख रू0 कीमत की 135 पेटी अवैध शराब**
- **01 चार पहिया वाहन बरामद**

दिनांक 08.11.2020 को थाना गजरौला पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ब्रजघाट चौकी के पास से दो अभियुक्तों 1—वीरेन्द्र 2—रमेश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 05 लाख रू0 कीमत की 135 पेटी अवैध शराब व 01 चार पहिया वाहन बरामद हुये।

इस संबंध में थाना गजरौला पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—वीरेन्द्र नि0 मीताथल थाना सदर जनपद भिवानी हरियाणा।

2—रमेश नि0 मीताथल थाना सदर जनपद भिवानी हरियाणा।

बरामदगी

1—05 लाख रू0 कीमत की 135 पेटी अवैध शराब व 01 चार पहिया वाहन।

एसटीएफः पशुधन घोटाले में वांछित एवं नमक खरीद घोटाले का मास्टर माईण्ड अन्तर्राज्यीय ठग व वांछित/शातिर व रू0 50,000/— का पुरस्कार घोषित अपराधी एसटीएफ (उ0प्र0) द्वारा गिरफ्तार

दिनांक 07—11—2020 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को पशुधन घोटाले में वांछित एवं नमक खरीद घोटाले का मास्टर माईण्ड व लखनऊ जेल में निरुद्ध आशीष राय का करीबी सहयोगी अन्तर्राज्यीय ठग व वांछित/शातिर व रू0 50,000/— का पुरस्कार घोषित अपराधी सुनील गुर्जर उर्फ मोंटी गुर्जर को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

अभियुक्त का नामः—

सुनील गुर्जर उर्फ मोंटी गुर्जर पुत्र रामनारायण गुर्जर निवासी— म0न0—96, ऑफिसर्स कैम्पस, विस्तार सिरसी रोड, खातीपुरा, थाना— वैशालीनगर, जयपुरराजस्थान)

गिरफ्तार अभियुक्त से कुल बरामदगीः

1— रू0 18500/— नगद
2— पासपोर्ट
3— एक ट्राली बैग लालरंग, जिसमें इस्तेमाली कपड़े, एक जोड़ी जूते व चश्मा रखा है।
4— एक अदद आधार कार्ड
5— हरे मोती की माला जिसपर पीली धातू पर हरा नग लगा है।
6— एक अंगूठी पीली धातू जिसपर सफेद नग लगा है।
7— एक सफेद धातू पर सफेद नग लगी अंगूठी।
8— तीन अदद मोबाईल फोन

गिरफ्तारी का दिनांक/समय व स्थान—

दिनांक 07—11—2020 को जयपुर एअरपोर्ट, जयपुर से रात्री 22:30 बजे।

पशुधन विभाग में टेण्डर के माध्यम से धोखाधड़ी कर 9 करोड़ 72 लाख की ठगी करने के सम्बन्ध में थाना हजतगंज जनपद लखनऊ मु0अ0सं0—160/2020 धारा—406, 419, 420, 467,468, 471, 120 बी भा0दवि0 व 7/13 भ्रष्टाचार निवारण अधि0 1988 पंजीकृत अभियोग में एस0टी0एफ0 द्वारा 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है तथा इस मुकदमें में मुख्य अभियुक्त आशीष राय का सहयोगी सुनील गुर्जर उर्फ मोंटी गुर्जर पुत्र रामनारायण गुर्जर निवासी— म0न0—96, ऑफिसर्स कैम्पस, विस्तार सिरसी रोड, खातीपुरा, थाना— वैशालीनगर, जयपुर (राजस्थान) था तथा यह नमक खरीद घोटाले में थाना हजरतगंज, लखनऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0—215/2020 धारा—419/471/120बी

/506/420/467/468 भा0द0वि0 एवं 7/13 भ्रष्टाचार अधिनियम में मास्टर माईण्ड था। अभियुक्त सुनील गुर्जर उर्फ मोंटी पर रू0 50,000/— का पुरस्कार घोषित किया गया था एवं इसके विरुद्ध गिरफ्तारी हेतु लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था।

इस अभियुक्त की गिरफ्तार हेतु श्री विशाल विक्रम सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0, लखनऊ के निर्देशन में एस0टी0एफ0 मुख्यालय की टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के माध्यम से ज्ञात हुआ कि रू0 50,000/— का पुरस्कार घोषित अपराधी सुनील गुर्जर उर्फ मोंटी जयपुर में रह रहा है तथा वह अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए आज ही दुबई जाने की फिराक में है।

इस सूचना पर एस0टी0एफ0 के उपनिरीक्षक श्री प्रमोद कुमार के नेतृत्व में आरक्षी संतोष कुमार, आरक्षी अंकित गुप्ता, आरक्षी प्रशान्त चौहान, आ0कमा0 चन्द्रपाल सिंह की एक टीम गठित कर तत्काल जयपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना की गयी तथा एअरपोर्ट पहुँच कर एयरपोर्ट सिक्योरिटी/अथोरिटी से सम्पर्क स्थापित कर उपरोक्त अभियुक्त सुनील गुर्जर उर्फ मोंटी को हिरासत मे लेकर कर उसके पास से उपरोक्त बरामदगी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त सुनील गुर्जर उर्फ मोंटी ने बताया कि उसने अपनी साथी आशीष राय के साथ मिलकर पशुधन विभाग में एवं खाद्य एवं आपूर्ती विभाग, लखनऊ में नमक खरीद में ठगी का कार्य किया है, जिसके सम्बन्ध में उसके व उसके साथियों के विरूद्ध थाना हजरतगंज, लखनऊ में मु0अ0सं0—160/2020 धारा—406, 419, 420, 467,468, 471, 120 बी भा0दवि0 व 7/13 भ्रष्टाचार निवारण अधि0 1988 व मु0अ0सं0—215/2020 धारा—419/ 471/120बी/506/420/ 467/468 भा0द0वि0 एवं 7/13 भ्रष्टाचार अधिनियम पंजीकृत हुआ था। इसके ऊपर रू0 50,000/— का पुरस्कार भी घोषित हो गया था तथा इसके विरुद्ध गिरफ्तारी हेतु लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था। गिरफ्तारी के डर से यह फरार चल रहा था तथा लुकछिप कर रह रहा था। अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए आज जयपुर से दुबई जा रहा था कि आप लोगों द्वारा पकड़ लिया गया।

आगे की पूछताछ पर बताया कि वह वरिष्ठ कांग्रेसी नेता व पुदुच्चेरी के दिवंगत उपराज्यपाल गोविंद सिंह गुर्जर का दत्तक पुत्र है। इसके पिता रामनारायण गुर्जर भी नसीराबाद, अजमेर के विधायक रह चुके है। इसके द्वारा ''सबल भारत संस्थान'' नाम का एक एन0जी0ओ0 भी बनाया था, जिसका कार्यालय वैशालीनगर जयपुर था, अपने एन0जी0ओ के माध्यम से भी ठगी का कृत्य किया करता था। वर्ष 2012 में जयपुर राजस्थान में उसके विरुद्ध धोखाधड़ी का अभियोग पंजीकृत हुआ था। वर्ष 2017 में अपनी चचेरी बहन के पति सुरेंद्र सिंह से मर्सडीज गाड़ी बेचने खरीदने के नाम पर 21 लाख रुपये की ठगी की घटना कारित की, जिसके सम्बन्ध में थाना वैशाली नगर, जयपुर में उसके विरुद्ध धोखाधड़ी का अभियोग पंजीकृत हुआ था। पूछताछ में ठगी से अर्जित रुपयों से मरीना बीच दुबई में 8 करोड़ का फ्लैट खरीदने की भी बात प्रकाश में आई है, जिसकी जानकारी की जा रही है।

अभियुक्त सुनील गुर्जर उर्फ मोंटी की अन्य आपराधिक गतिविधियाँ भी पूछताछ के माध्यम से प्रकाश में आयीः—

- राजस्थान के चर्चित भांवरी देवी अपहरण व हत्याकांड में सीडी प्रकरण में भी सुनील उर्फ मोंटी गुर्जर का नाम चर्चा में आया था।
- वर्ष 2019 में सुनील उर्फ मोंटी गुर्जर ने गुजरात के व्यापारी नीलम भाई पटेल व संदीप भाई पटेल को उ0प्र0 में नमक का टेंडर दिलाने के नाम पर कुख्यात ठग आशीष राय के साथ मिलकर करोड़ो की ठगी की घटना कारित की थी।

गिरफ्तार अभियुक्त को उपरोक्त मुकदामों में दाखिल किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। अग्रिम आवश्यक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।

एसटीएफ उ0प्र0 द्वारा जनपद कानपुर नगर से एटीएम हैकर गिरोह का मास्टर माइण्ड, पुणे, महाराष्ट्र से वांछित अभियुक्त एस0टी0एफ0 द्वारा गिरफ्तार।

दिनाकः 07.11.2020 को एस0टी0एफ उ0प्र0 द्वारा क्राइम ब्रान्च पुणे, महाराष्ट्र से वांछित एटीएम हैकर गिरोह का मास्टर माइण्ड मुकेश यादव को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

मुकेश यादव पुत्र राजेश यादव निवासी करबिगंवा, थाना नरवल, कानपुर नगर।

गिरफ्तार अभियुक्त से बरामदगी –

1. 02 अदद मोबाइल।
2. 01 अदद एटीएम कार्ड।
3. 01 मोटर साइकिल।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समयः–

दिनॉकः 07.11.2020, समयः 11:15 बजे, सरसौल, फ्लाई ओवर के आगे थाना क्षेत्र महराजपुर कानपुर नगर

दिनाकः 30.10.2020 को थाना सिंहगढ रोड, जिला पुणे, महाराष्ट्र में एटीएम हैकर गिरोह के सदस्य संदीप कुमार पुत्र रामसनेही प्रजापति निवासी करबिगंवा, थाना नरवल, कानपुर नगर, हाल पता मेघश्रृष्टि अपार्टमेण्ट, पारिख रोड, फ्लैट नं0–501, जिला पुणे एवं अरविन्द पुत्र राजाराम निवासी करचलपुर पो0 बिजौली, थाना बिन्दकी, जिला फतेहपुर हाल पता उपरोक्त, अशोक पुत्र राजाराम निवासी उपरोक्त को 58 एटीएम कार्ड के साथ क्राइम ब्रान्च, महाराष्ट्र द्वारा गिरफ्तार किया गया था, जिसके सम्बन्ध में थाना सिंहगढ पर मु0अ0सं0–2563/2020 धारा 465/467/ 468/471/420 /120 बी भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया था। घटना का मुख्य अभियुक्त व मास्टर माइण्ड मुकेश यादव पुत्र राजेश यादव उपरोक्त तत्समय भागने में सफल हो गया था एवं मुकदमा उपरोक्त में वांछित था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु क्राइम ब्रान्च पुणे, महाराष्ट्र की टीम द्वारा एस0टी0एफ उ0प्र0 से सम्पर्क किया गया। उच्चाधिकारियों के निर्देश पर एस0टी0एफ फील्ड यूनिट कानपुर द्वारा वांछित अभियुक्त मुकेश यादव उपरोक्त के सम्बन्ध में विभिन्न माध्यमों से सूचना संकलित कर दिनॉकः 07.11.2020 को समयः 11:15 बजे सरसौल, फ्लाई ओवर के आगे थाना क्षेत्र महराजपुर कानपुर नगर से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गयी।

अभियुक्त ने पूछताछ के क्रम में बताया कि कानपुर नगर व आस–पास के जनपदों में काफी नवयुवक एटीएम मशीन की तकनीकी खामियों का फायदा उठाकर उत्तर प्रदेश व विभिन्न प्रान्तों में जाकर धोखाधड़ी करके एटीएम मशीनों से अनाधिकृतरूप से पैसों का विड्राल कर लेते हैं तथा बैंको को भारी मात्रा में आर्थिक क्षति पहुँचाते है। इसी क्रम में पुणे सिटी महाराष्ट्र में दिनॉकः 23.10.2020 से 27. 10.2020 तक अभियुक्तगणों द्वारा भिन्न–भिन्न एटीएम से लाखों रूपये की अवैध निकासी की गयी थी, जिसके पश्चात थाना सिंहगढ रोड, जिला पुणे सिटी महाराष्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

अभियुक्त मुकेश यादव उपरोक्त को मा0 न्यायालय, सीएमएम, कानपुर नगर में प्रस्तुत कर क्राइम ब्रान्च पुणे महाराष्ट्र द्वारा 03 दिवस ट्रांजिट रिमांड प्राप्त कर वापस पुणे, महाराष्ट्र रवाना किया गया।

एसटीएफः थाना उतरांव, जनपद प्रयागराज में पंजीकृत मु0अ0सं0–312/2020 धारा–395/342/506/412 भादवि (डकैती) का वांछित व रू0 25,000/– का पुरस्कार घोषित, शातिर व अन्तर्जनपदीय लुटेरा गिरफ्तार

दिनाक–07.11.2020 को एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, प्रयागराज को थाना उतरांव, जनपद प्रयागराज में पंजीकृत मु0अ0सं0–312/2020 धारा–395/342/506/412 भादवि (डकैती) का वांछित व रू0 25,000/–पुरस्कार घोषित, शातिर व अन्तर्जनपदीय लुटेरे को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

1– मो0 तबसीर उर्फ तफ्सीर पुत्र मो0 सादिक, निवासी महमूदपुर, ज्ञानीपुर, थाना कोतवाली देहात, जनपद सुल्तानपुर।

बरामदगीः–

1– 01 अदद तमन्चा (315 बोर)।
2– 02 अदद जिन्दा कारतूस (315 बोर)
3– 01 अदद मोटरसाइकिल नम्बर–यू0पी0–44–ए0यू0–5928।
4– 01 अदद मोबाइल।
5– नकद 400/– रूपया।

गिरफ्तारी का स्थान/दिनांक व समय

एकडला पुलिया पुलिस बूथ के सामने, उतरांव, दिनांकः–07.11.2020 की रात्रि 23:50 बजे।

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को विगत काफी दिनों से फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर आपराधिक घटनाएँ कारित करने की सूचनाएँ प्राप्त हो रही थीं। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों /टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में श्री नीरज कुमार पाण्डेय, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, प्रयागराज के पर्यवेक्षण में एसटीएफ प्रयागराज की टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

दिनांकः–07.11.2020 को फील्ड इकाई, प्रयागराज की एक टीम जनपद प्रयागराज के उतरांव क्षेत्र में आपराधिक अभिसूचना संकलन में मामूर थी। इसी दौरान मुखबिर से ज्ञात हुआ कि मु0अ0सं0–312/2020 का वांछित व 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित शातिर ट्रक लुटेरा/चोर पुनः लूट की फिराक में हण्डिया टोल की तरफ गाड़ियों की रैकी करने आ रहा है। मुखबिर द्वारा दी गई सूचना पर विश्वास करके निरीक्षक श्री अतुल कुमार सिंह व निरीक्षक श्री के0सी0राय के नेतृत्व में उ0नि0 श्री वेद प्रकाश पाण्डेय, आरक्षी साजिद, प्रभंजन पाण्डेय की टीम द्वारा मुखबिर के बताए स्थान पर पहुँचकर आवश्यक बल प्रयोग कर उपरोक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई है।

पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्त तबसीर उर्फ तफ्सीर द्वारा बताया गया कि दिनांक–22/23.08.2020 की रात्रि में अपने साथियों नन्हें उर्फ इस्तियाक, सहबान, कलीम, सलमान चिकना व साहिल के साथ मिलकर एक सरिया लदा ट्रेलर लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसमे

हमारे दो साथी मय ट्रेलर व माल के साथ पकड़े गये थे। उन्हीं की मदद व रूपयों की आव”यकता हेतु मैं पुनः वाहनों की रैकी करने आया था।

आगे पूछताछ पर बताया कि विगत माह मकूनपुर, थाना क्षेत्र कोहडौर, जनपद प्रतापगढ़ व कर्बी, जनपद चित्रकूट से टाटा सूमो व बोलेरो अपने साथी पप्पू उर्फ तौफीक, निवासी सिन्नाथपुर, थाना कन्धई, जनपद प्रतापगढ़ व सलमान, निवासी बेगमवार्ड, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़ के साथ मिलकर चोरी किए और दोनों गाड़ियों को पप्पू ने ठिकाने लगाया है। अभियुक्त द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मुम्बई में भी वाहन चोरी व लूट की कई घटनाओं को अंजाम देना बताया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त को मु0अ0सं0–312/2020 धारा–395/342/506/412 भादवि व मु0अ0सं0–434/2020 धारा–3/25 आर्म्स एक्ट, थाना उतरांव, जनपद प्रयागराज में दाखिल किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है। अभियुक्त के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

मो0तबसीर उर्फ तफसीर पुत्र मो0 सादिक, निवासी महमूदपुर, ज्ञानीपुर, थाना कोतवाली देहात, जनपद सुल्तानपुर का ज्ञात आपराधिक इतिहास :–

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1.	312/2020	395/342/506/412 भादवि	उतरांव	प्रयागराज
2.	434/2020	3/25 आर्म्स एक्ट	उतरांव	प्रयागराज
3.	541/2020	379 भादवि (बोलेरो चोरी)	कर्बी	चित्रकूट

————————